R-475/96 रीवा

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म॰प्र॰

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

14 NOV 2005

CF 15/-

1· श्रीमती गोमती रानी शुक्ला पत्नी श्री मधु सूदन प्रसाद शुक्ला

उम्र 63 वर्ष

2· धर्मेन्द्र शुक्ला उम्र 35 वर्ष

3· जयेन्द्र शुक्ला उम्र 28 वर्ष

4· संगीता शुक्ला उम्र 38 वर्ष

5· वंदिता शुक्ला उम्र 32 वर्ष

6· प्रणिता शुक्ला उम्र 30 वर्ष

7· अजिता शुक्ला उम्र 28 वर्ष

सभी पुत्रगण स्व· श्री मधुसूदन प्रसाद शुक्ला, नि·गण सेमरियाचौक चाणक्यपुरी, सतना, हाल निवास सिविल लाइंस रीवा, तह·हुजूर, जिला-रीवा म·प्र·

8· पुरुषोत्तम नारायण शुक्ला तनय द्वारिका प्रसाद शुक्ला उम्र 62 वर्ष, निवासी सेमरिया चौक, तह·रघुराज नगर जिला सतना म·प्र· --- आवेदक गण

श्री के.के. त्रिपाठी, अभि॰
द्वारा आज दि॰ 21.11.05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर

21 NOV 2005

बनाम

प्रेमजी भाई पटेल पुत्र शिवगण भाई पटेल उम्र 64 वर्ष, निवासी कृष्णनगर, तह·रघुराज नगर वृत्तसतना, जिला-सतना म·प्र· --- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म·प्र·

क्रमशः·

गोमती रानी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 475/96 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के हस्ताक्षर
22/09/.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 282/90–91/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.2.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा ने अनावेदिका को विवादित भूमि पर वर्ष 86–87 एवं 67–68 में कब्जा लिखे जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी ने अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने यह मानते हुये कि तहसीलदार का यह आदेश संहिता की धारा 115, 116 के परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता है इसलिये उन्होंने नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में	

अपील प्रस्तुत की है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.2.96 द्वारा अपील स्वीकार की गई इससे से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में मृतक आवेदिका श्रीमती तिजिया के स्थान पर पक्षकार बनाये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो सर्वथा अनुचित अनियमित एवं अवैधानिक है । अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका श्रीमती तिजिया की पुत्रियों में एक आवदेनपत्र पक्षकार बनाये जाने बावत पेश किया तथा दूसरा आवेदन वसीयत के आधार पर पक्षकार बनाये जाने बावत अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया। इन्हीं दो आवेदन पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा

सुनवाई की थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दोनों आवेदन पत्रों पर आदेश न करते हुये प्रकरण में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया, जो विधि प्रकिया से अनुचित था। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुण दोष पर सुनवाई भी नहीं हुई और न सुनवाई करने का प्रश्न ही नहीं था क्यों कि पहले उनको मृत आवेदिका श्रीमती तिजिया के स्थान पर किसे पक्षकार बनाया जावे यह प्रश्न पहले निर्णित होना था, लेकिन अपर आयुक्त रीवा द्वारा यह निर्णित कर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4- अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक का दखल रहित कब्जा न होकर आवेदक का कब्जा है। इसलिये नायव तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश को निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही आदेश पारित किया गया है इसलिये आदेश स्थिर रखा जावे।

5- उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का परीक्षण किया गया।

6- उभयपक्ष के तर्कानुक्रम में तथा अभिलेख के परीक्षण में मैं यह पाता हूँ कि नायब तहसीलदार ने जांच पड़ताल के पश्चात अनावेदक का विवादित भूमि पर कब्जा लिखे जाने का आदेश दिया है। यह कार्यवाही शासन के कार्यपालिक निर्देशें के अनुसार की गइ हें संहिता की धारा 115, 116

के अनुसार कब्जे की पृविष्ट अंकित किये जानेका आदेश नही किया जा सकता बल्कि खसरे में की गई त्रुटिपूर्ण पृविष्टि का सुधार किया जा सकता है ।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं महत्वपूर्ण आवेदक पक्ष के अधिवक्ता का तर्क एवं अभिलेख में प्रस्तुत वारिसान का आवेदन एवं वसीयत नामे का आवेदन पर निर्णय होना चाहिये था, जो अपर आयुक्त द्वारा नहीं किया गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो विधि प्रकिया से ठीक नहीं है। क्यों कि पहले उनको मृत व्यक्ति के वारिसान के आवेदन पर तथा वसीयत के आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिये था न कि प्रकरण को मेरिट पर निर्णित करना चाहिये यहां अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित की जाता है कि पहले वह मृत श्रीमती तिजिया के वारिसान व वसीयत के आवेदन पर निर्णय लिया जावे उसके पश्चात प्रकरण को गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जावे। प्रकरण दा0 दर्ज हो। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य